एस0एन0पाण्डेय
आई0ए0एस0

राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड

आयुक्त एवं सचिव।

अ0शा0पत्र सं0– 4379/रा.प./16
दिनांकः 17 नवम्बर, 2016

महोदय,

परिषद् स्तर पर न्यायिक कार्यों की समीक्षा से यह संज्ञान में आया है कि राजस्व न्यायालयों में न्यायिक कार्यों के निस्तारण की स्थिति अच्छी नहीं है। न्यायिक कार्य करने वाले राजस्व अधिकारी इस कार्य को आवश्यकतानुरूप समय नहीं दे पा रहे हैं, फलतः अनेकानेक राजस्व वाद/कार्यवाहियाँ विभिन्न स्तरों पर अनावश्यक रूप से लम्बित चले आ रहे हैं जिससे वादकारियों को परेशानी उठानी पड़ती है।

पर्यवेक्षक स्तरों पर न्यायिक कार्यों की प्रभावी समीक्षा होना भी आवश्यक है। कलेक्टर व आयुक्त स्तर पर निश्चित समय अन्तराल में न्यायिक कार्यों की समीक्षा किये जाने से न्यायिक कार्यों के निस्तारण में अपेक्षित सुधार होगा।

समस्त राजस्व अधिकारियों, जो न्यायिक कार्य करते हैं, को निम्नलिखित आधारभूत तथ्यों को संज्ञान में रखकर न्यायिक कर्तव्यों का निर्वह्न करना आवश्यक है:–

1– सप्ताह में न्यायिक कार्य हेतु पीठासीन अधिकारियों द्वारा न्यायिक कार्य दिवस निर्धारित किये जाने चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्धारित न्यायिक कार्य दिवस पर पीठासीन अधिकारी अवश्य उपस्थित रहें।

2– जिन न्यायालयों में वादों की अधिकता हो, वे पीठासीन अधिकारी अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर प्रतिदिन न्यायालय में बैठना प्रारम्भ करें।

3– प्रति माह दायर वादों के सापेक्ष डेढ़ गुना वादों का निस्तारण किया जाय।

4– 6 माह से ऊपर के लम्बित वादों के निस्तारण हेतु विशेष प्रयास किये जायं तथा ऐसे वादों को दिन प्रति दिन सुनवाई हेतु नियत कर निस्तारित किये जायं।

.......2

5— अदम पैरवी में खारिज वादों के पुनर्स्थापन की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाय तथा अदम पैरवी में वाद खारिज करने के बजाय उसे गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जाय।

6— न्यायिक कार्यों के निस्तारण हेतु मानक निर्धारित कर स्टाफ बैठकों में न्यायिक कार्यों की समीक्षा की जाय। ताकि कार्य में ढिलाई बरतने वाले पीठासीन अधिकारियों को सचेत कर बैकलॉग को बढ़ने से रोका जा सके। वार्षिक प्रविष्टियों के अंकन के समय भी इसका संज्ञान लिया जाय।

7— पीठासीन अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्णय में नाम एवं पदनाम आवश्यक रूप से लिखे हों। इस सम्बन्ध में पूर्व में राजस्व परिषद् स्तर से दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न

भवनिष्ठ

(एस0एन0 पाण्डे)
17.11.2016

1.श्री विनोद शर्मा,
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौडी।

2.श्री डी0 सेन्थिल पाण्डियन,
आयुक्त,
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

3.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।